प्र. स. .... /दावा/प्र.पत्र/....................

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8/10/25	वकुलाए उप० बहस हेतु अवसर चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29/10/25 को पेश हो।
29/10/25	वकुलाए उप०। बहस हेतु अवसर चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 3/12/25 को पेश हो।
3/12/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली सामान्य कार्यवाही हेतु दिनांक 8/1/26 को पेश हो
7/1/26	वकुलाए उप0। बहस उभयपक्ष सुनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को संक्षिप्त में दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी खतोनी सं0 नई 177 पुरानी 160 की भूमि ख0सं0 24 रकबा 5 बीधा 16 बिस्वा , ख0स0 725/345 रकबा 2 बिस्वा, ख0सं0 741/442 रकबा 1 बिस्वा, ख0सं0765/238 रकबा 2 बीधा 2 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीधा 1 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा पटवार हल्का बाजड में विस्थित है, वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थी सं0 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है वाद वर्णित आराजी के मुल खातेदार कंवरयॅ , मांग्या पि0 जीवन जाति मीण नि0 छपावदा थे। कंवरया लाऔलाद फोत हो जाने से उक्त आराजी अकेले मांग्या आ0 जीवन के खाते दर्ज हुई। मांग्या की मृत्यु हो जाने पर वाद वर्णित आराजी अप्रार्थी सं0 1 व 2 के खाते दर्ज रेकार्ड है। वाद वर्णित आराजी दिनांक 21.9.1982 में ही जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र कंवरया व मांग्या जी द्वारा प्रार्थी को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था किन्तु तत्समय राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज नहीं कराने से वाद वर्णित आराजी पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 का राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड होने का फायदा उठाकर अप्रार्थी सं0 1 व 2 उक्त आराजी को अन्यत्र रहन बेचान अथवा हस्तान्तरण करने पर आमादा है। वाद वर्णित आराजी प्रार्थी की कयशुदा भूमि होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि अप्रार्थीगण वाद वर्णित आराजी में से प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी ख सं0 24 रकबा 5 बीधा 16 बिस्वा या उसके किसी हिस्से पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करे, रहन बेचान अथवा हस्तान्तरण नही करे ना स्वयं करे ना अन्य से करावें।

प्र.सं. ..../ धारा / प्र.पत्र / ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को संक्षिप्त में दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि है, जिसे कंवरया व मांग्या जी द्वारा प्रार्थी को कभी बेचान नहीं किया। भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है प्रार्थी द्वारा वाद वर्णित आराजी को केवल मात्र मांगीलाल जी के स्वास्थ्य खराब होने से एक वर्ष के लिए काश्त हेतु दी थी और इकरार किया कि आधा खर्चा निकालने के बाद उपज का आधा हिस्सा प्रार्थी का व आधा हिस्सा मांगीलाल जी प्राप्त करेंगे। किन्तु मांगीलाल जी के देहान्त के पश्चात प्रार्थी उक्त भूमि पर फसल करते चले आ रहे थे किन्तु जून 2017 में अप्रार्थीगण ने स्वयं काश्त करने हेतु प्रार्थी को कहा तो प्रार्थी ने कब्जा छोडने से मना कर दिया । अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी व रामेश्वर, राजेन्द्र के विरुद्ध बेदखली का दावा भी किया गया था। वाद वर्णित आराजी का रेकार्डेड खातेदार अप्रार्थी सं0 1 व 2 होने से प्रार्थी का वाद वर्णित आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचें है कि वाद वर्णित आराजी के खातेदार अप्रार्थी सं0 1 व 2 है किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र अनुसार भूमि ख0सं0 24 रकबा 5 बीधा 16 बिस्वा का बेचान होना भी प्रतीत होता है किन्तु उक्त बेचान पर का राजस्व रेकार्ड में अब तक पंजीयन नहीं हुआ है जो कानूनी बिन्दु है जिसका निस्तारण मूल वाद मे साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर तय होगा। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना संभावित है, ऐसी स्थिति में वाद वर्णित आराजी के रेकार्डेड खातेदार अप्रार्थीगण 1 व 2 होना एवं दिनांक 21.9.1982 के विक्रय पत्र से विवादित आराजी ख0 सं0 24 रकबा 5 बीधा 16 बिस्वा का बेचान होना प्रतीत होता है किन्तु उक्त विक्रय पत्र का अब तक अमल नहीं होने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है यह मूल वाद के निस्तारण के साथ निस्तारित होगा। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु एक पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर पक्षकारो के मध्य लिटीगेशन की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी ख0 सं0 24 रकबा 5 बीधा 16 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामिल तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।